उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:- 92/2023/1145/छप्पन-2023-46/2011
लखनऊ,दिनांक: 08 सितम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1672/छप्पन-11-41/2011 दिनांक 25 अगस्त, 2011 के द्वारा श्री सुनील कौरा को निदेशालय की परिचालन इकाई में पायलट (रोटर विंग) के पद पर रू0 1.80 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री सुनील कौरा द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त श्री सुनील कौरा की संविदा सेवा अवधि समय-समय पर निदेशालय के प्रस्तावानुक्रम में बढ़ाई जाती रही है। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-83/2018/1426/छप्पन-2018-46/2011 दिनांक 13 अगस्त, 2018 के अन्तर्गत उनकी संविदा सेवा अवधि 05 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी जो दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 को पूर्ण हो रही है। श्री सुनील कौरा द्वारा किए गए अनुरोध के अनुक्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-117/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2023 दिनांक 07 अगस्त, 2023 के माध्यम से उनकी संविदा सेवा को पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ नियमानुसार अर्थात 60 वर्ष की आयु मई, 2025 तक अथवा अग्रेत्तर 03 वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा किया गया है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किए गए उक्त प्रस्ताव दिनांक 07 अगस्त, 2023 पर सम्यक विचारोपरान्त निदेशालय की परिचालन इकाई में पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री सुनील कौरा की संविदा सेवा अवधि को पूर्व सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ वर्तमान में अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक रू0 6,64,855/- (छः लाख चौंसठ हजार आठ सौ पचपन मात्र) एवं शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 से नियमानुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने अर्थात दिनांक 31 मई, 2025 तक के लिए बढ़ाए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री सुनील कौरा की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री सुनील कौरा से संविदा पर नियुक्ति/सेवा विस्तार के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक प्रति निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:- 92/2023/1145(1)/छप्पन-2023-46/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे श्री सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराके उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।